

हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (भारत सरकार का उपक्रम), कोर 7ए, हडको भवन, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003  
दूरभाष : 24648160 फैक्स : 011-24625308 Visit us at : www.hudco.org सीआईएन : L74899DL1970GOI005276  
Housing & Urban Development Corporation Ltd., (A Govt. of India Enterprise), Core-7A, HUDCO Bhawan, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003  
Tel.: 24648160 Fax : 011-24625308 Visit us at : www.hudco.org CIN : L74899DL1970GOI005276

आई.एस.ओ. 9001 : 2008 प्रमाणित कम्पनी

No.FR\HUDCO\HB\2018

AN ISO 9001 : 2008 CERTIFIED COMPANY

June 20, 2018

To,  
The Bondholders of HUDCO

**Sub: SEBI Notification dated 8<sup>th</sup> June, 2018 to amend Regulations on Transfer of Securities.**

Dear Bondholders,

SEBI vide Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations And Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018, dated 8<sup>th</sup> June, 2018 states that, "Provided that, except in case of transmission and transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository."

In compliance to the said amendment, HUDCO shall not entertain any request for transfer of Bonds, if it is in physical form and presented for transfer on or after 04.12.2018.

Thanking you,

Yours faithfully,

  
Achal Gupta  
Jt. GM (Finance)

Encl.: SEBI notification dated 8<sup>th</sup> June 2018.





# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 8, 2018/ज्येष्ठ 18, 1940

No. 223]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 8, 2018/JYAISTHA 18, 1940

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 8 जून, 2018

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

**[सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2018**

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/24.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्, -

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सीवें दिन प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में, -
  - विनियम 7 में, उप-विनियम (2) में, शब्दों "कागज़ी और इलेक्ट्रॉनिक" का लोप हो जाएगा।
  - विनियम 40 में, उप-विनियम (1) में, -

क. चिह्न "1", चिह्न ":" से प्रतिस्थापित हो जाएगा;

ख. निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"परंतु यह कि, प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) के प्रेषण (ट्रांसमिशन) या प्रतिस्थापन (ट्रांसपोजिशन) के मामले को छोड़कर दूसरे मामलों में, प्रतिभूतियों के अंतरण (ट्रांसफर) संबंधी निवेदनों पर तब तक कार्यवाही नहीं की जाएगी, जब तक कि प्रतिभूतियाँ निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) के पास गैर-कागज़ी (डीमैट) रूप में धारित न हों।"

(iii) अनुसूची-VII में, खंड क में, उप-खंड (2) का लोप हो जाएगा।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/96/18-19]

**पाद टिप्पण :**

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात् :
  - क) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा
  - ख) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा
  - ग) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/008, द्वारा
  - घ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/025, द्वारा
  - ङ) 15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/29, द्वारा
  - च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का

